APP-A
crim-I

FORM NO. III

2018/01320

फर्द अहकाम
(नियम–26)

अज अदालत .... हरीसिंह .... नियम .... करतारसिंह ....

.... 88, 188 RTA .... बनाम

किस्म मुकदमा .... नं. 122 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/6/18	वादी की ओर से यह वाद पत्र वकील श्री उम्मेदसिंह चम्पावत ने राजस्व वाद धारा अन्तर्गत 88/188 RTAct के तहत पेश किया। जो दर्ज रजिस्टर्ड हो। प्रतिवादीगण को समन जारी होकर पत्रावली दिनांक 23/6/18 को पेश हो। सहायक कलेक्टर, (S.D.O.) बालोतरा	
21/6/18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प मेवानगर में वादी व वादी वकील के निवेदन पर पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादीगण उपस्थित। दोनों पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र आपसी राजीनामा पेश कर निवेदन किया की पुश्तैनी खेत ख॰ नं॰ 498/36 रकबा 07 बीघा 01 बिस्वा व ख॰ नं॰ 500/172 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा सरहद मौजा उमरलाई जागीर परवार हल्का उमरलाई भू॰ अभि॰ नि॰ क्षेत्र	

(भागीरथ राम)
...न अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
...खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
... कैम्प मेवानगर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

खपरड़ा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर में स्थित है, जो भूमि स्व. माधोसिंह के खातेदारी की थी, तत्पश्चात अंशियें प्रतिवादी सभा-तरव के बसतसिंह के नाम अंकित है व बसतसिंह के हम वादीगण जायन्दा पुत्र-पौत्र है इस प्रकार उक्त भूमि पुश्तैनी होने व वादीगण की संयुक्त-हिन्दू खानदान के होने व वादीगण की संयुक्त हिन्दू खानदान के होने के कारण सभी का बराबर-बराबर हक-हिस्सा है।

वादग्रस्त भूमि वर्तमान में बसतसिंह के नाम से अंकित है में से वादीगण संख्या 1, 2, 3 व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा व वादीगण संख्या 4, 5 व 6 का 1/5 हिस्सा खातेदारी में अंकित किया जावें तो किसी भी पक्षकारान को कोई भी उज्र एतराज नहीं है व इसी पर सभी पक्षकारान आपस में सहमत है।

वादीगण व प्रतिवादीगण दोनों पक्षकारान आपस में राजीनामा की भावना से आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया व नाती दरीसिंह के द्वारा शपथ पत्र भी पेश किया गया।

पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया खेत ख० न० 498/136 रकबा 67 बीघा 01 बिस्वा, ख० न० 500/172 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा सरहद मौजा उमरलाई जागीर की भूमि स्व० माधोसिंह की खातेदारी रही है माधोसिंह के स्वर्गवास होने के बाद विधिक वारिस वादीगण संख्या 1 ता 3

(मालीराम राव)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प...........

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
के पौत्र है। वादी संख्या-5 पश्चात 6 व प्रतिवादीगण संख्या -1 पुत्र हो जिनमें स्व. माधोसिंह के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या -1 का निर्विवाद वारिस हो से उनके पैतृक भूमि में 1/5 - 1/5 हिस्सा हक हिस्सा होना पाया जाता है।	
अतः उक्त आराजी मे वादीगण संख्या 1 ता 3 का प्रत्येक का 1/5 व वादी संख्या 5 ता 6 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/5 हिस्सा खातेदार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।	
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
सिविल आफ रूल्स आयालय ग्राम पंचायत समक्ष लोक अदालत कैम्प परेऊ में सुनाया गया।	
(हस्ताक्षर) (भागीरथ राम) पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प- 2018 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बालोतरा कैम्प.......[illegible]	

Scanned by CamScanner